प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन जिसमें, फरवरी 2015 और मार्च 2015 में प्रथम दो ट्रेंचों में नीलाम हुई कोयला खानें सम्मिलित हैं, इसमें ई–नीलामी प्रणाली के अभिकल्पना स्तर से लेकर कोयले के उत्पादन एवं निगरानी स्तर तक के ई–नीलीमी के विश्लेषण के परिणाम समाविष्ट हैं।